न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टीए / 673 / 2001 / भरतपुर

1— चन्दनसिंह) पिसरान श्री भुण्डाराम
2— हुकमसिंह)जाति जाट नि0करकला पपररा तहसीलकुम्हेर,भरतपुर
3— गजेन्द्रसिंह) पिसरान श्री दौलतसिंह पुत्र भुण्डाराम अकवाम
4— रवीन्द्र)जाट नि0करकला पपररा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
5— श्रीमति कमला बेवा दौलतसिंह
6— श्रीमति सुनीता पुत्री दौलतसिंह पत्नि विरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी छानफिरावा तहसील भरतपुर।
7— श्रीमति हेमलता पुत्री श्री दौलतसिंह पत्नि विरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी छानफिरावा तहसील भरतपुर।
8— श्रीमति किरन पुत्री भुण्डाराम पत्नि हरीसिंह जाट, निवासी नगलाघीसा तहसील व जिला मथुरा (उत्तरप्रदेश)
9— श्रीमति प्रेमवती पुत्री भुण्डाराम पत्नि उमरावसिंह जाति राव निवासी सादौली तहसील नदबई, वारिसान विधिक प्रति0 स्व0 भुण्डाराम।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर हाल तहसीलदार कुम्हेर।
2— ग्राम पंचायत पपरेरा जरिये सरपंच ग्राम पपरेरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3— पूरनसिंह पुत्र परभाती जाति जाट निवासी करकला (पपरेरा) कुम्हेर

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः—
सर्व श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ।

——

निर्णय

दिनांकः 16–06–2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं0 308/2000 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 06–01–2001 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वादीगण की खुदकाश्त की आराजी है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। नकल जमाबंदी संवत् 2011 लगायत 2014 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2016 में विवादित आराजी वादी के खुदकाश्त में अंकित है लेकिन बाद में राज्य कर्मचारियों ने इसे गलत रूप से चरागाह दर्ज कर दिया, जिसके आधार पर राज्य सरकार एवं ग्राम पंचायत उसके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है। अतः दावे को स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावें। दावे को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी ग्राम पंचायत ने जवाबदावा पेश कर तथ्यों को अस्वीकार करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया। बाद सुनवाई सहायक कलक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08–12–83 द्वारा वाद को अस्वीकार किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में पेश की गई, जिसें उन्होंने अपने निर्णय 19–08–88 स्वीकार कर सहायक कलक्टर के निर्णय व डिक्री 08–12–83 को निरस्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर ग्राम पंचायत व राज्य सरकार ने द्वितीय अपील मण्डल में पेश की, जिसे मण्डल ने निर्णय दिनांक 09–03–94 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध नजरसानी पेश की गई जिसे निर्णय

दिनांक 30–06–98 द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् राजस्व अपील प्राधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 19–02–88 की पालना में बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री 15–09–2000 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06–01–2001 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–09–2000 को निरस्त करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते पुनः निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, जमाबंदियों व खसरा गिरदावरियों को नहीं समझा जबकि उनमें विवादित आराजी वादीगण की खुदकाश्त दर्ज है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णयों में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण नहीं किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित भूमि को चरागाह मानते हुए अपने निर्णय पारित किए है जबकि पूर्व में विवादित आराजी संवत् 2011 से 2014 में वादी की खुदकाश्त में दर्ज है और वादीगण इसी हैसियत से रिकार्ड ऑफ राईट में खातेदार दर्ज है और खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2019 में भी इसी तरह का अंकन है, ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों को विवादित आराजी को चरागाह के रूप में दर्ज करने का अधिकार नहीं था। उनका तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में यह तय करना था कि क्या किसी की खुदकाश्त की एवं खातेदारी की भूमि को सिवायचक एवं

खातेदारी में दर्ज करने का अधिकार है या नहीं ? किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात को तय नही कर केवल चरागाह का अंकन देखकर ही वादी का वाद खारिज कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय 09–03–94 व राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–98 में दिए गए निर्देशों को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करते हुए अपने निर्णय प्रदान किए है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व अभिलेख के विपरीत है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर इन दोनों आक्षेपित निर्णयों को निरस्त किया जावें।

5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि को जिला कलक्टर के आदेश से वर्ष 1971 में चरागाह दर्ज किया गया है। उक्त आदेश को मण्डल ने भी उचित माना है। वादीगण द्वारा पूर्व में समरी प्रोसिडिंग्स काम में ली गई अब इनके द्वारा रेगूलर दावा पेश किया गया है। वर्तमान रेकार्ड में विवादित आराजी चरागाह अंकित है, जिस पर खातेदारी प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रश्नगत प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने हेतु कोई तथ्य एवं कानून बिन्दू विद्यमान नहीं थे। उनके आदेश 41 नियम 23 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में हम राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय त्रुटिपूर्ण पाते है।

8— उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 06—01—2001 निरस्त कर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आदेश 41 नियम 23 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्षों की सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

9— पत्रावली फैसल शुमार होकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य